



प्रेस नोट

दिनांक 10.11.2025

थाना सिसोलर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चालाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.11.2025 को थाना सिसोलर पुलिस द्वारा वेद प्रकाश शुक्ल उर्फ सुंठी पुत्र श्रीप्रकाश शुक्ल को ग्राम परेहटा थाना सिसोलर हमीरपुर से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 110/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

वेद प्रकाश शुक्ल उर्फ सुंठी पुत्र श्रीप्रकाश शुक्ल (उम्र करीब 45 वर्ष) निवासी ग्राम परेहटा थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर।

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 74/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 कपिल मलिक
2. उ0नि0 शिवम दत्त
3. का0 पुरुषोत्तम नारायण

